(48)

संख्या–सा–3–1272/दस–2009

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2009

विषयः– राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 1133(एस०एस०)2001 इन्द्रजीत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 को निर्णय पारित करते हुए यह अपेक्षा की गई है कि शासनादेश निर्गत करते हुए सभी विभागों, स्थानीय निकायों एवं निगमों को निर्देशित किया जाये कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा डा० उमा अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य में दी गयी व्यवस्थानुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतान के संबंध में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए (मा० उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है)।

2–उपरोक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने हेतु समय समय पर निर्गत पार्श्वांकित शासनादेशों के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट किया गया है।

| | |
|---|---|
| 1–संख्या-सा-3-2085/दस-907/76, | दिनांक 12-12-1977 |
| 2–संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/89, | दिनांक 28-7-1989 |
| 3–संख्या-सा-3-1644/दस-904/94, | दिनांक 02-11-1995 |
| 4–संख्या-सा-3-743/दस-2000-308(1)/2000, | दिनांक 03-5-2001 |
| 5–संख्या-सा-3-425/दस-2001-308(1)/2000, | दिनांक 23-3-2001 |
| 6–संख्या-सा-3-270/दस-2003, | दिनांक 24-02-2003 |
| 7–संख्या-सा-3-1422/दस-2008-101(10)/02, | दिनांक 18-11-2008 |
| 8–संख्या-सा-3-2010/दस-2008-101(10)/02, | दिनांक 06-01-2009 |

3–उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 में समय–सारिणी भी निर्गत की गयी है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कोई कमी यदि सेवा पुस्तिका में हो, तो उसको सेवानिवृत्त के 08 मास पूर्व पूरा कराने, अदेयता प्रमाण–पत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्त के 02 मास पूर्व पूरा कराने तथा सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रपत्र उसकी सेवानिवृत्त के 08 मास पूर्व उपलब्ध कराने जिसे संबंधित सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक द्वारा 06 मास पूर्व भर कर प्रस्तुत किया जायेगा, आशय की व्यवस्था की गई है।

4–ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि शासन द्वारा समय–समय पर उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत किए जाने के उपरान्त भी सेवानिवृत्त/मृत राजकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर यथासमय अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके कारण पर्याप्त संख्या में पेंशन प्रकरण लम्बित रहते है, जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों एवं उसके परिवार को समय से पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान न होने से आर्थिक एवं मानसिक कष्ट सहना पड़ता है एवं राज्य सरकार की छवि भी धूमिल होती है। इसके अतिरिक्त सेवानैवृत्तिक लाभों का विलम्ब से भुगतान होने के कारण अनावश्यक रूप से ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है।

4- उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित कर दें कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण से संबंधित कार्यवाही दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर दी जाए एवं उन्हें उक्त नियमावली-1995 में निर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार निश्चित रूप से निस्तारित कराने की व्यवस्था की जाए, जिन मामलों में विलम्ब प्रशासकीय त्रुटि के कारण हो, उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि पेंशन प्रकरणों के विलम्ब से निस्तारण के कारण यदि राज्य सरकार को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, तो इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-सा-3-2102/दस-971/80, दिनांक 06 दिसम्बर, 1994 में दी गयी व्यवस्थानुसार ब्याज अनुमन्य होगा तथा उसकी वसूली विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से अनिवार्यतः की जायेगी। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान समय से करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त।

---

संख्या-सा-3-1272(1)/दस-2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ समस्त स्थानीय निकाय/निगम/उपक्रम, जहाँ पेंशन संबंधी व्यवस्था लागू है, को इस शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार आवश्यक निर्देश तत्काल जारी करें।

3- मीडिया सलाहकार, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9- विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र मित्रा,
अनु सचिव।